न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 7/2022

अरूण कुमार पुत्र श्री पुरूषोतम लाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी चिराणा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं राज0 मुख्त्यार दीनदयाल पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहम्ण हाल निवासी कोलकाता।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.01.2022 नायब तहसीलदार नवलगढ प्रकरण संख्या 16/2020

——

उपस्थितः—

1. श्री किशोर जांगिड, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 12.01.2022 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एक नोटिस अं0 धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया था जिसमें दर्ज किया गया कि ग्राम चिराणा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 0.68 है0 मन्दिर श्री गोरधनजी हिस्सा पूर्ण में से 324 वर्गमीटर भूमि पर अरूण कुमार पुत्र श्री पुरूषोतम शर्मा जाति ब्राहम्ण ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रकरण को धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम में दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अपीलान्ट नोटिस प्राप्त होने पर जरिये वकील हाजिर होकर विस्तृत जबाब प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 0.68 है0 की भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 5714/2482 थे तथा उससे भी पूर्व खसरा नम्बर 1369 थे उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 1369 की भूमि की खातेदारी पूर्व में रामदीन पुत्र जमनाराम, रामदत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी उक्त पुराने खसरा नम्बर 1369 के साथ पुराने खसरा नम्बर 1368, 1401, 1402 का एक ही खाता था जिसके खातेदार राजदीन पुत्र द्वारका प्रसाद कौम ब्राहमण, रामस्वरूप पुत्र अ[illegible] व रामदत पुत्र ज्वाला कौम ब्राहम्ण थे। पैमाईश के समय खसरा नम्बर 1369 के खसरा [illegible] 5[illegible]/2482 बनकर खातेदारी गलत रूप में मन्दिर के नाम दर्ज कर दी। सैटलमेन्ट को उपरोक्त प्रकर[illegible] खातेदार बदलने का कोई अधिकार नही था। गलत रूप से मन्दिर के नाम दर्ज [illegible] नवलगढ[illegible]ला कलक्टर के यहा विचाराधीन है। दीनदयाल पुत्र रामनाथ उपरोक्त [illegible] के 1/5 हिस्से का ख[illegible] दीन दयाल पुत्र रामनाथ अपनी व्यापार के कार्य से कोलकाता रहता है इसलिए उन्होने प्रार्थी अरूण कुमार को मुख्त्यार नियुक्त कर रखा है जिस आधार पर ही प्रार्थी उक्त हिस्से पर काबिज है। तथा उन्ही के लिये कार्य कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुंझुनूं

रहा है। झूठी शिकायतों के आधार पर उक्त प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। तथा प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब व दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना ही प्रिज्यूडिस होकर प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये आर्थिक दण्ड व बेदखली के आदेश नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा जारी किये गये है। जिससे व्यथीत होकर अपील निम्नलिखित प्रकार से सेवामें पेश है कि नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 प्रिज्यूडिस होकर के पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 0.68 है0 ग्राम रामपुरा में हिस्सा 1/5 दीनदयाल पुत्र श्री रामनाथ का है जिसकी खातेदारी उनके नाम रही है। खसरा नम्बर 726 के पूर्व के खसरा नम्बर 5714/2482 थे तथा उससे पुराने खसरा नम्बर 1369 थे जो नई पैमाईस से पूर्व के खसरा नम्बर थे। उक्त पुराने खसरा नम्बर 1369 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी रामदीन पुत्र द्वारका प्रसाद कौम ब्राहम्ण हिस्सा 1/5 रामस्वरूप पुत्र अम्बाबक्स हिस्सा 2/5, रामनाथ पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/5, रामदत पुत्र ज्वाला हिस्सा 1/5 के नाम खातेदारी की भूमि हमेशा से रही है तथा इसी अनुसार काबिज व हक अधिकार थे। उपरोक्त वर्णित मे से रामनाथ पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/5, का वारिस दीनदयाल पुत्र रामनाथ है जिसका हिस्सा 1/5 है दीनदयाल पुत्र रामनाथ अपने व्यापारिक कार्य हेतु कोलकाता निवास करता है। इसलिए दीनदयाल पुत्र रामनाथ ने प्रार्थी/अपीलान्ट को मुख्त्यार आम नियुक्त कर रखा है इसी आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट श्री दीनदयाल के हिस्से पर काबिज है जो श्री दीनदयाल द्वारा निर्देशानुसार ही कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थिति व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 पारित किया है। भूमि खसरा नम्बर 726 हमेशा से प्रार्थी/अपीलान्ट के मुख्त्यार कर्ता दीनदयाल व अन्य सहहिस्सेदारान की खातेदारी की भूमि रही है। जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट लॉ फुल पजेशन में रहा है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने किसी जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी/अपीलान्ट को अतिक्रमी दर्ज करते हुये निर्णय दिनांक 12.01.2022 पारित किया है। पुराने खसरा नम्बर 1369 ग्राम चिराणा के पैमाईश के पश्चात खसरा नम्बर 5714/2482 बने थे पैमाईशी कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी में परिवर्तन करते हुये मूल खातेदारो का नाम हटाकर मन्दिर का नाम दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था उपरोक्त रूप से गलत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु सक्षम रूप से गलत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ के यहां दावा मुकदमा नम्बर 210/2020 पेश किया गया था जो विचाराधीन है उपरोक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये एवं जबाब के तथ्यो के विचार व विवेचन किये बिना निर्णय दिनांक 12.01.2020 पारित किया है। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम अविधिक रूप से सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत प्रावधान है। प्रार्थी/अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि पर अविधिक रूप से काबिज नही होकर लॉ फुल पजेशन में है इसलिए उपरोक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध अमल में लाई जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के दौरान प्रार्थी/अपीलान्ट को नोटिस किये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा नियत समय में जबाब प्रस्तुत कर दिया गया था इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रार्थी/अपीलान्ट को साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया व ना ही बहस का अवसर दिया एव ना ही प्रार्थी/अपीलान्ट को निर्णय बाबत सूचना दी बल्कि बाला–बाला ही बैक डेट मे निर्णय पारित कर दिया जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय से प्रार्थी को कोई सूचना नहीं हुई बल्कि दिनांक 05.02.2022 को संबंधित गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर आकर उक्त निर्णय से अवगत करवाया गया जिसके पश्चात् प्रार्थी ने तहसील कार्यालय से नकल दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त कर उक्त अपील सेवामे पेश कर रहा है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/3

पेशकर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायलय नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 16/2020 अं0 धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 प्रिज्यूडिस होकर के पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 0.68 है0 ग्राम रामपुरा में हिस्सा 1/5 दीनदयाल पुत्र श्री रामनाथ का है जिसकी खातेदारी उनके नाम रही है। खसरा नम्बर 726 के पूर्व के खसरा नम्बर 5714/2482 थे तथा उससे पुराने खसरा नम्बर 1369 थ्झे जो नई पैमाईस से पूर्व के खसरा नम्बर थे। उक्त पुराने खसरा नम्बर 1369 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी रामदीन पुत्र द्वारका प्रसाद कौम ब्राहम्ण हिस्सा 1/5 रामस्वरूप पुत्र अम्बाबक्स हिस्सा 2/5, रामनाथ पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/5, रामदत पुत्र ज्वाला हिस्सा 1/5 के नाम खातेदारी की भूमि हमेशा से रही है तथा इसी अनुसार काबिज व हक अधिकार थे। उपरोक्त वर्णित मे से रामनाथ पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/5, का वारिस दीनदयाल पुत्र रामनाथ है जिसका हिस्सा 1/5 है दीनदयाल पुत्र रामनाथ अपने व्यापारिक कार्य हेतु कोलकाता निवास करता है। इसलिए दीनदयाल पुत्र रामनाथ ने प्रार्थी/अपीलान्ट को मुख्त्यार आम नियुक्त कर रखा है इसी आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट श्री दीनदयाल के हिस्से पर काबिज है जो श्री दीनदयाल द्वारा निर्देशानुसार ही कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थिति व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 पारित किया है। भूमि खसरा नम्बर 726 हमेशा से प्रार्थी/अपीलान्ट के मुख्त्यार कर्ता दीनदयाल व अन्य सहहिस्सेदारान की खातेदारी की भूमि रही है। जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट लॉ फुल पजेशन में रहा है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने किसी जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी/अपीलान्ट को अतिकमी दर्ज करते हुये निर्णय दिनांक 12.01.2022 पारित किया है। पुराने खसरा नम्बर 1369 ग्राम चिराणा के पैमाईश के पश्चात खसरा नम्बर 5714/2482 बने थे पैमाईशी कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी में परिवर्तन करते हुये मूल खातेदारो का नाम हटाकर मन्दिर का नाम दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था उपरोक्त रूप से गलत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु सक्षम रूप से गलत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ के यहां दावा मुकदमा नम्बर 210/2020 पेश किया गया था जो विचाराधीन है उपरोक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये एवं जबाब के तथ्यो के विचार व विवेचन किये बिना निर्णय दिनांक 12.01.2020 पारित किया है। धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम अविधिक रूप से सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत प्रावधान है। प्रार्थी/अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि पर अविधिक रूप से काबिज नही होकर लॉ फुल पजेशन में है इसलिए उपरोक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध अमल में लाई जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 16/2020 अ0 धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 12.01. 2022 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम चिराणा स्थित विवादित भूमि ... रकबा 0.68 है0 किस्म मंदिर श्री गोरधनजी मे से 324 वर्ग मीटर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। मंदिर भूमि पर वैसे ही कार्यवाही की जाती है जैसे सरकारी भूमि के मामलों

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/5

ने की जामी है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर अदालत मातहत द्वारा दिया गया है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। राजकीय अभिभाषक का कथन कि ग्राम चिराणा स्थित विवादित भूमि ख0न0 726 रकबा 0.68 है0 किस्म मंदिर श्री गोरधनजी मे से 324 वर्ग मीटर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। हमे अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत मानते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2022 यथावत रखा जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested